



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक :- 22.01.2025

कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को एक बोरी में कुल 49 कोन अवैध चाइनीज मांझा व 110 पैकेट चाइनीज मांझा पैकेट प्रत्येक में 10 लच्छे कुल 1100 लच्छे सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान उप महानिरीक्षक /पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय व प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव पाण्डेय कोतवाली फर्रुखाबाद के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध चाइनीज मांझा बेचते हुये गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से एक बोरी में कुल 49 कोन अवैध चाइनीज मांझा व 110 पैकेट चाइनीज मांझा पैकेट प्रत्येक में 10 लच्छे कुल 1100 लच्छे बरामद हुये। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध कोतवाली फर्रुखाबाद पर मु०अ०सं० 06/2025 धारा 125/271/272 BNS व धारा 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही जा रही है।



## पूछताछ का विवरण: -

अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि मार्केट में चाइनीज मांझे की बिक्री की डिमाण्ड है इसे बेचने पर काफी मुनाफा होता तथा अपने किये गये कृत्य से गलती मानते हुए कहा कि भविष्य में ऐसा काम अब नहीं करूंगी।

## अभियुक्ता उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0स0 06/25 धारा 125/271/272 BNS व धारा 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

## बरामदगी का विवरण:-

1. एक बोरी में कुल 49 कोन अवैध चाइनीज मांझा व 110 पैकेट चाइनीज मांझा पैकेट प्रत्येक में 10 लच्छे कुल 1100 लच्छे।

## गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस :-

1. श्री राजीव पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फर्रुखावाद
2. उ0नि0 श्री यतेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी तिकोना
3. उ0नि0 श्री विजय कुमार चौकी प्रभारी पल्ला
4. का0 अंकित पवार
5. का0 मनोज कुमार
6. का0 विजय कुमार
7. म0का0 रीना यादव ।

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 22.01.2025

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 273/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित नाबालिग को शादी के उद्देश्य से भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.12.2024 को कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 273/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस प्रकाश में आये अभियुक्त आसिफ पुत्र अब्बास अली उर्फ हुसना निवासी डिडवाला राजस्थान को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01.आसिफ पुत्र अब्बास अली उर्फ हुसना निवासी डिडवाला राजस्थान ।



**घटना का संक्षिप्त विवरण** – वादी द्वारा दिनांक 23.12.24 को सूचना दी गयी कि उसकी पुत्री को नामित हुसैन आलम उर्फ बाबू पुत्र शमशाद फकीर निवासी ग्राम डुडे बुजुर्ग थाना गुरसहायगंज जिला कन्नौज द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 273/2024 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस पंजीकृत कराया गया था। अब तक की तमामी विवेचना में नामित हुसैन आलम उर्फ बाबू पुत्र शमशाद फकीर निवासी ग्राम डुडे बुजुर्ग थाना गुरसहायगंज जिला कन्नौज की घटना में संलिप्तता न पाये जाने पर नामजदगी गलत की गयी तथा प्रकाश में आये अभियुक्त आसिफ पुत्र अब्बास अली उर्फ हुसना निवासी डिडवाला राजस्थान को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** आसिफ पुत्र अब्बास अली उर्फ हुसना निवासी डिडवाला राजस्थान ने पूछने पर अपने जुर्म का इकबाल करते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय मे देना बताया।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त :-**

मु0अ0सं0 273/24 धारा 137(2)/87 बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-**

- 1- म0उ0नि0 सुधापाल
- 2- का0 रोहित कुमार।

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**

